न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04 / 2019

प्रार्थीगण

1. जबरसिंह पि. तगसिंहजी
2. किशोरसिंह पि. तगसिंहजी
3. हड़मतसिंह पि. तगसिंहजी
4. मु.तुलसी बैवा तगसिंहजी
5. विश्नसिंह वल्द देवीसिंहजी कौम रजपूत निवासी जालेरा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. बालूराम वल्द वीराराम कौम कलबी निवासी कोट की ढाणी , रानीवाडा कला
2. ओखाराम वल्द भूराराम
3. रतनाराम वल्द भूराराम
4. गोकलाराम वल्द भूराराम कौम रबारी निवासीयान जालेरा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
5. तहसीलदार भूमिधारी रानीवाडा
6. हल्का पटवारी जालेरा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्राथीगण अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी 5 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक –04.3.2021

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा जालेरा खुर्द तत्कालीन तहसील जसवंतपुरा की प्रथम पैमाईश के वक्त से खातेदारी कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 571 रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा भूमि बारानी, खसरा नं. 576 रकबा 29 बीघा 9 बिस्वा किस्म भूमि बारानी, कुल रकबा 69 बीघा 6 बिस्वा आयी हुई थी जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के पुर्वज खातेदार तगा, देवा पि. अमरा कौम– रजपूत बहिस्सा बराबर पसायतेदार के रूप मे दर्ज थी। व खातेदारी कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 575 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा किस्म भूमि बारानी दोयम खसरा नम्बर 495 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा आयी हुई थी जिसकी खातेदारी जगमाला वल्द सामा कौम – रैबारी सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज थी। व जालेरा खुर्द तत्कालीन तहसील – जसवंतपुरा की प्रथम पैमाईश के वक्त राजस्थान सरकार की ना काबिल काश्त मजकूर के खाते की कृषि भूमि के रूप में पुराने खसरा नं. 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन के रूप में दर्ज थी। प्रार्थीगण के पूर्वज खातेदारानों के पुराने खसरा नं. 576 की कृषि भूमि के उत्तर पूर्व से अप्रार्थीगण 2 से 4 पूर्वज खातेदार जगमाला के वारिसादारानप रामीगा, भूरा पि. जगमाला की कृषि भूमि खसरा नं. 575 स्थित थी तथा दोनो खातेदारानों की कृषि भूमि खसरा नं. 576, 575 के दक्षिण पूर्वी सेढे पर राजकीय गैर मुमकिन भूमि खसरा नम्बर 576, 573 के दक्षिण पूर्वी सेढे 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन किस्म की सरकारी भूमि स्थित थी उक्त राजकीय गैर मुमकिन भूमि के रकबे के दक्षिण पूर्वी सेढे पर [illegible] गांव की सीमा रानीवाडा कल्ला गांव की सीमा तक लगती हुई थी तथा उक्त सीमा [illegible] रानीवाडा कल्ला की आबादी भूमि तक आवागमन हेतु रेकौर्डेड सार्वजनिक उपयोग हेतु कटाण [illegible] स्थित था। जिसमें प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 पूर्वज खातेदारान [illegible] में स्वयं, [illegible] पशु, कृषि उपयोगी यंत्रो, ट्रेक्टर ट्रोली, बैलगाडी, [illegible] तथा [illegible]थियो के आवागमन [illegible] मात्र एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested

आम सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग, उपयोग रास्ते के सुखधिकार के अधिकार के तहत लगातार संवत् 2011 से आज दिन तक निर्बाध रूप से करते आ रहे थे। द्वितीय भू प्रबंध काल के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बीघा पद्वति से हेक्टर पद्वति की प्रणाली अपनाकर मौके पर कब्जा कास्त धारी कृषकों की खातेदारी हको की कृषि भूमियो की रकबा क्षेत्रफल की गणना करते हुए मौके पर कृषि भूमियों में आवागमन के अधिकार की सुखाधिकार को मद्देनजर रखते हुए पुनः नवीन राजस्व रेकर्ड का निर्धारण करने का प्रावधान था, परंतु तत्कालिन समय के भू प्रबंध अधिकारियों ने अपने पदों का दुरूपयोग कर अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा राजस्थान सरकार के स्वयं से खातेदारी पुराने खसरा नम्बर 414 रकबा 14 बिघा 5 बिस्वा से द्वितीय सेटलमेंट के पश्चात नवीन संधारित खातेदारी मे नवीन खसरा नम्बर 820 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 824 रकबा 0.27 हैक्टर किस्म भूमि गैर मुमकिन दर्ज किया, तथा कुल रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बरानो का कुल रकबा 2.20 हैक्टर करते हुए सरकारी गैर मुमकिन भूमि के क्षेत्रफल को लगभग 0.27 हैक्टर भूमि कम अंकित कर दी, जिसका भू प्रबंध अधिकारियों का कतई अधिकार नही था। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पूर्वज खातेदार की कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 575 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30 हैक्टर संधारित कर दी जिसमे राजकीय गैर मुमकिन भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा की कुल भूमि क्षेत्रफल मे से 0.27 हैक्टर मे से 0.24 हैक्टर घटाकर अप्रार्थी संख्या 2 सें 4 के पूर्वज खातेदारान की खातेदारी मे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के रकबा 3.01688 हैक्टर के बजाय 3.30 हैक्टर करके 0.24 हैक्टर गलत तरीके से बढा दिया तथा नक्शा ट्रश में पुराने खसरा नम्बर 575, 576 के दक्षिण पूर्वी माठ पर स्थित पुराने खसरा नम्बर 414 के रकबा क्षैत्रफल को घटाकर उक्त पुराने खसरा नम्बर एवं 575 से बने नवीन खसरा नम्बर 1307 मे रकबा 3.30 हैक्टर में अधिक रकबा सम्मिलित करते हुए मौके से गैर मुमकिन भूमि का त्रुटिपुर्ण बढा हुआ 0.27 हैक्टर रकबा अलग से तरमीम तक नही किया तथा पुराने खसरा नम्बर 414 से बने नवीन खसरा नम्बर 820, 821, 824, मे से 820 को थौडा आगे तक गैर मुमकिन नाडी तक खसरा नम्बर 1307 के पूर्वी सेढे पर स्थित नाडी तक ही तरमीम कर नक्शा ट्रेश मे भी त्रुटीपूर्ण रेकर्ड संधारित किया, जगकि मौके पर उक्त राजकीय भूकि आज दिन तक पडोसी खातेदारानों के केवल मात्र एक ही आत्यन्तिक आवश्यकता वाले रास्ते के रूप में आवागमन हेतु उपयोग के रूप मे काम आती रही है, इसलिए उक्त त्रुटिपुर्ण रैकर्ड का संधारण करना भू प्रबंध अधिकारीयो को कानूनन अधिकार नही था इसलिए त्रुटिपूर्ण राजस्व रेकर्ड को धारा 136 आर एल एक्ट के प्रावधानों के तहत रेकर्ड दुरूस्त कर पुनः पुराने खसरा नम्बर 414 सें अकित रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा का त्रुटिपुर्ण रेकर्ड 0.27 हैक्टर रकबा कम किया हुआ रकबा पुनः पूर्ण किया जावे तथा नवीन खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30 हैक्टर में से बढा हुआ 0.24 हैक्टर रकबा कम किया जाकर उसे पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार पुराने खसरा नम्बर 414 से बने नवीन खसरा 820 के रकबे मे दर्ज रकबा में कम किये गये 0.24 हैक्टर रकबे की पुनः पुराने नक्शा ट्रस में दर्ज गैर मुमकिन भूमि को 0.24 हैक्टर रकबा अनुसार बढाकर पुराने खसरा नम्बर 414 से तरमीम किया जाना न्याय संगत है।

वर्तमान मे पुरने खसरा नम्बर नम्बर 576 के नवीन खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1314 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1315 रकबा 2.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 1316 रकबा 2.48 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। तथा पुराने खसरा नम्बर 576 से नवीन खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 के खाते मे दर्ज हैं तथा राजकीय पुराने खसरा नम्बर 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 820 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.27 हैक्टर, द्वितीय भू–प्रबंध काल के दौरान परिविर्तित किये गये हैं। नवीन खसरा नम्बर 1307 की खातेदारी रामीगां, भूरा पिसरान जगमाला कौम रेबारी दर्ज संवत 2046 सें 65 दर्ज हुई, तथा उसके पश्चात औखा, रतना, गोकला पिसरान भूरा कौम रेबारी सा देह खातेदार संवत 2071 – 74 मे दर्ज हुई थी जिसको अप्रार्थी संख्या 01 बालूराम पुत्र वीराराम कोम कलबी सा कोट की ढाणी के नाम जरिये बैचान ना.क.स. 797 दिनांक 20.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज किया गया ।

प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरूद्व निम्न अनुतोष चाहा गया है कि मौजा जालेरा खुर्द तहसील रानीवाडा मे द्वितीय भू–प्रबंध काल के दौरान पुराने खसरा नम्बर 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 820, 821, 824 कुल रकबा 2.01 हैक्टर मे से कमी किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested

त्रुटिपूर्ण रेकर्ड का रकबा 0.27 हैक्टर गै.मु.भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 सें 4 के नाम पूर्ववत्ती रेकर्ड अनुसार दर्ज त्रुटिपूर्ण रेकर्ड पुराने खसरा नम्बर 575 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा यानि रकबा 3.0688 हैक्टर से बने नवीन खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30 हैक्टर बढे हुए रकबा 0.24 हैक्टर भूमि को वर्तमान जमाबंदी मे खसरा नम्बर 820, 821, 824 के कुल रकबा 2.01 हैक्टर से 2.26 हैक्टर त्रुटिपूर्ण रकबा जरिये रेकर्ड दुरूस्ती करते हुए नवीन नक्शा ट्रेश मे भी खसरा नम्बर 1307 के दक्षिण पूर्वी माठ पर खसरा नम्बर 820 का रकबा नीचे तक कम किया हुआ 0.24 हैक्टर रकबा बढाकर जालेरा खुर्द व रानीवाडा कल्ला के सीमा पर रेकर्ड एवं नक्शा ट्रेश मे तरमीम कर रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश बहक प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 सादिर फरमावें। उक्त रेकर्ड दुरूस्ती आदेश की तहरीर तहसीलदार रानीवाडा एवं पटवारी हल्का जालेरा खुर्द जारी फरमाकर त्रुटिपूर्ण राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अमल दरामद कर राजस्व नक्शा ट्रेश मे तरमीम करने का आदेश न्यायहित मे फरमावें। मौके पर गै.मु.भूमि को प्रार्थीगण तथा अन्य पडौसी खातेदारानो के आवागमन हेतु अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्ध किया जाकर आदेश न्यायहित में फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर वकील श्री मोहनलाल विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से बाद तामिल नोटिस अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से राजपेरोकार उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवाद की वस्तु द्वितीय सेटलमेन्ट के समय में पैदा हुई है, उक्त विवाद के संबंध में धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश नही कर, वाद पत्र पेश करना होता है, जहां राजस्व रेकर्ड में द्वितीय सेटलमेंट के बाद में कोई त्रुटी पैदा हुई है, तो उसी संबंध में प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया जायेगा, उक्त विवाद ग्रस्त संपति में विवाद द्वितीय सेटलमेंट के दौरान, द्वितीय सेटलमेंट की कार्यवाही से पैदा हुआ है। ऐसी स्थिति में यें प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा काबिले खारीज है। धारा 136 आर.एल.एक्ट का प्रयोजन मात्र लिपिकीय गलती का शुद्विकरण करना है। विवाद ग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा संपति है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30 हैक्टेयर को अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये खरीद दस्तावेज के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीद करने के दस्तावेज उप पंजीयक, रानीवाडा द्वारा पंजीबद्व किया जा चुका है। खरीद दस्तावेज पंजीबद्व होने के बाद, उक्त दस्तावेज में से आराजी के किसी हिस्से विशष को जरिये रेकर्ड दुरस्ती के कम किया जाना हो तो उक्त आराजी के हिस्से विशेष को सक्षम शिविल न्यायालय द्वारा केंसल करवाया जाना आवश्यक होता है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के खरीद किये गये हिस्से में से रेकर्ड दुरस्त कर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से को कम करने की इस्दुआ चाही है, जो इस्तदुआ दस्तावेज को केंसल करवाये बिना कति संभव नही है। प्रार्थी ने पुराने खसरा नम्बर 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में उक्त पूराने खसरा नम्बर से सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर का रेकर्ड दुरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, यहां यह कहना उचित होगा कि खातेदारी आराजी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज थी तथा द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन संधारित खसरा नम्बर 820, 821 व 824 कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर दर्ज हुये। उक्त नवीन खसरा नम्बर वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में सरकारी गैर मुमकिन जो कि राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम से दर्ज है। उक्त राजकीय आराजी के रेकर्ड को संसोधित कर रेकर्ड दुरस्त करने की जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदारजी को प्राप्त है। राजकीय भूमि में रेकर्ड में दुरस्त के संबंध में भूमिधारी तहसीलदारजी को प्राप्त है, जबकि इस प्रार्थना पत्र में राजकीय भूमि का रेकर्ड दुरस्त करने के लिये प्रार्थी जबरसिंह वगैराह ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो काबिले खारीज है। खसरा नम्बर 576, 575, 573 के दक्षिणी पूर्वी सेडे पर खसरा नम्बर 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा की भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु कटान रास्ता कभी भी नही रही है, अप्रार्थी संख्या 1 कालूराम की खातेदारी आराजी से लगती हुई मौजा रानीवाडा कल्ला की आराजी अवश्य आई हुई है। मौजा रानीवाडा कल्ला व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी के बीच में रास्ते हेतु सरकारी भूमि कभी नही रही, अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी आराजी को प्रार्थी संख्या 1 से 4 खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। अप्रार्थी ने आराजी को जब खरीद किया तब अप्रार्थी के उतरी पश्चिमी सीमा के लगता हुआ तथा रानीवाडा कलां गांव के बीच कोई आम रास्ता नही था तथा न ही वर्तमान में कोई रास्ता चालू है। प्रार्थी ने पूराने खसरा नम्बर 575, 576, व 414 का नक्शा ट्रेश कूट रचित पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested

है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष धारा 136 आर.टी.एक्ट के तहत स्वीकार नही किये जा सकते। वादीगण ने राजस्व रेकर्ड में नक्शा ट्रेस कूटरचित पेश किया है। प्रार्थीगण ने अतिक्रमण को मुक्त करने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है क्योकि प्रार्थीगण खुद के पास द्वितीय सेटलमेंट के दौरान बढा हुआ रकबा 0.33 हैक्टेयर का कब्जा प्राप्त किये हुये है। वादीगण की मंशा यदि सरकारी जमीन को मुक्त करने की होती तो अपने स्वयं की खातेदारी आराजी रकबा 0.33 हैक्टेयर के बढे हुये रकबे को राजस्व अभिलेख में राज्य सरकार के नाम अवश्य करवा देता। इस प्रकार प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र दुषित मानसिकता के चलते पेश किया है।जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से काबिल खारीज है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 5 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि द्वितीय भू–प्रबंध काल के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियो द्वारा बीघा पद्वति से हेक्टेयर पद्वति की प्रणाली अपनाने हुए ग्राम जालेरा खुर्द के पुराने खसरा नम्बर 414 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा से द्वितीय सेटलमेंट के पश्चात नवीन खसरा नम्बर 820 रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.14 हेक्टेयर खसरा नम्बर 824 रकबा 0.27 हेक्टेयर जुमले रकबा 2.01 हेक्टेयर दर्ज किया गया। जबकि उक्त पुराने खसरा नम्बर 414 का कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर होना चाहिये था। इस प्रकार सेटलमेण्ट अधिकारियो द्वारा रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि कम अंकित कर दी। तथा खसरा नम्बर 575 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30 हेक्टेयर भूमि दर्ज की गयी इस प्रकार खसरा नम्बर 1307 का रकबा बढा है उक्त रकबा कौनसे खसरे से बढा है तथा उक्त भूमि जालेरा खूर्द व रानीवाडा कलां की सीमा पर आयी हुई इसलिए यह पक्षकार साबित करे। पुराने खसरा नम्बर 576 रकबा 29 बीघा 4 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1314 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1315 रकबा 2.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1316 रकबा 2.48 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.04 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट के दौरान उक्त खसरो में रकबे की बढोतरी हुई है। तथा पुराने खसरा नम्बर 575 से बने नवीन खसरा नम्बर 1307 रकबा 3.30 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज है जिसमें भी रकबे मे बढौतरी हुई है। इस प्रकार पुराने खसरा नम्बर 414 से बने नवीन खसरा नम्बर के रकबे में कमी हुई है तथा पुराने खसरा नम्बर 576 से बने नवीन खसरा नम्बरानो के रकबे में वृद्वि हुई है व पुराने खसरा नम्बर 575 से बने नवीन खसरा नम्बर के रकबे में वृद्वि हुई है। तथा सरकारी भूमि पुराने खसरा नम्बर 414 में कमी हुई है। इस प्रकार दोनो पक्षकार रेकर्ड दुरस्त करने के अधिकारी नही है तथा सरकारी भूमि कम होने से नियमानुसार रेकर्ड दुरस्त करना भूमिधारी तहसीलदार को है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये बैचान दस्तावेज से खरीद की हुई है तथा उक्त बैचान दस्तावेज अनुसार ना.क. संख्या 797 दिनांक 20.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया व अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में व्यक्त किया कि द्वितीय सेटलमेंट में कोई भी त्रुटि गणितिय व लिपिकीय त्रुटि को धारा 136 के तहत दुरूस्ती की जा सकती है। परन्तु हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण की खातेदारी के नए खसरान ओर अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ओखा वगैरा के नाम दर्ज हुई जो अप्रार्थी ने बैचान दस्तावेज के जरिये खरीद की व जरिये नामान्तरणकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए है। इस प्रकार रेकॉर्डेड खातेदार की खातेदारी धारा 136 के तहत् समाप्त नहीं की जा सकती। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र ,दस्तावेज व अप्रार्थी के जवाब व बहस के तथ्यों का अध्ययन किया गया । एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अध्ययन किया जिसमें ’’भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय ,किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शूद्व कर सकेगा या उन्हे शूद्व करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें : परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्व नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को हेतु दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested

हो'' वर्णित है। हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र गणितिय भूल व लिपिकिय भूल से संबंधित नही है। द्वितीय सेटलमेंट में औखा वगैरा के नाम गलत रूप से भूमि दर्ज हुई हो इस संबंध में प्रार्थी ने कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है। और इस प्रकरण में क्षेत्रफल में व राजस्व रेकर्ड में भी नवीन प्रविष्टिया दर्ज हुई है। जो खातेदार है। इसलिए इस संबंध में धारा 136 के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्ती योग्य गणितिय व लिपिकीय भूल नही पाई जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारीज किया जाता है। प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण के संबंध की आराजी के संबंध में विधिक रूप से वाद लाने के लिए स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:57 IST
Reason: SelfAttested